UPEW010003122018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0ए0)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2 इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO CodeUP 6462

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–06/2018

राज्य **प्रति**

1.साबिर खां पुत्र मौसम खां,

2.आरिफ पुत्र मुस्ताक खां **(मृतक)**,

निवासीगण हरदोई,

थाना चौबिया, जिला इटावा।

अपराध संख्या–113/2016

धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. व

धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति(अत्याचार

निवारण) अधिनियम।

थाना चौबिया, जिला इटावा।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण का विचारण थाना चौबिया जनपद इटावा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 113/2016 में अभियुक्तगण साबिर खां और आरिफ के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी कुंवर पाल द्वारा थाना चौबिया, जिला इटावा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है कि वह अनुसूचित जाति (कोरी) का व्यक्ति है। विगत दिवाली पर उसका,

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.04.22 17:08:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके गांव के ही साविर व आरिफ से बारूद चलाने के सम्बन्ध में विवाद हो गया था। जिससे यह लोग उससे रंजिश मानने लगे थे। दिनांक 21.04.2016 को समय करीब 03.00 बजे रात्रि वादी, अवनीश निवासी रुकईया के थ्रेसर से मजदूरी के रूप में गेहूं कटवाकर अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही वह हरदोई मेला के पास पहुंचा तभी वहां पर पहले से मौजूद साविर व आरिफ खां ने उसको घेर लिया तथा साविर बोले साले कुरिया को जान से मार दो, बचकर न जाने पाये। साविर ने वादी का गला दबा दिया तथा जाति सूचक गालियां देते हुये डण्डों से मारपीट की और जाने से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उक्त घटना को राहुल तथा उसके पिता जिलेदार आदि लोगों ने देखा। वह घटनास्थल पर बेहोश हो गया था। वादी को उसके पिता जिलेदार सिंह बेहोशी की हालत में थाना चौबिया ले गये और घटना के सम्बन्ध में शिकायत की परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, बसरेहर के लिये थाना चौबिया पुलिस ने चिट्ठी लिख दी। जहां पर उसकी चोटों का डाक्टरी परीक्षण हुआ तथा दिनांक 23.04.2016 को उसे जिला अस्पताल, इटावा के लिये रैफर कर दिया गया। जहां से वादी को डिस्चार्ज कर दिया गया। विपक्षीगण, वादी व उसके परिवार को अनुसूचति जाति का होने के कारण उत्पीड़ित करते हैं तथा विपक्षीगण का उनके क्षेत्र में इतना आतंक है कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ कहने से डरता है।

3. वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण साबिर खां और आरिफ के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 धारा 323,504,506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम के अन्तर्गत थाना चौबिया, जनपद इटावा पर पंजीकृत की गयी।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा साक्षीगण एवं अभियुक्तगण के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण साबिर खां और आरिफ के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्तगण साविर और आरिफ के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

6. दौरान विचारण अभियुक्त आरिफ की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2024 को उपशमित की गयी है।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

1. पी.डब्लू.1 कुंवर पाल
2. पी.डब्लू.2 अवनीश
3. पी.डब्लू.3 जिलेदार
4. पी.डब्लू.4 राहुल कुमार
5. पी.डब्लू.5 का० 88 धीरू यादव

8. अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कागजात के निष्पादन की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। तदनुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन की ओर से निम्न अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

दस्तावेज का नाम	**अंकित प्रदर्श**
तहरीर	प्रदर्श क–1
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
जी.डी.	प्रदर्श क–3
आहत आख्या कुवर पाल	प्रदर्श क–4
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
आरोप पत्र	प्रदर्श क–6

9. अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०संहिता अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटनाक्रम को गलत बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

10. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

11. विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 21.04.2016, समय करीब दोपहर 3.00 बजे, स्थान हरदोई मेला, थाना क्षेत्र चौबिया, जिला इटावा, में अभियुक्तगण ने वादी कुंवर पाल को एक राय होकर डण्डों से मारपीट की, लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गालियां दी, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा वादी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, उसको जनता के दृष्टिगोचर में गाली–गलौज कर अपमानित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतः संदेह से परे साबित है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी।

12. अभियुक्त साविर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है जिस कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 05 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

15. पी.डब्लू.1 कुंवर पाल, जो इस केस का वादी/चुटहिल है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना दिनांक 21.04.2016 को करीब 3 बजे सुबह की है। वह रुकईया के थ्रेसर से मजदूरी करके गेहूं कटवाकर अपने घर वापिस आ रहा था। जैसे ही हरदोई मेला के पास पहुंचा तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, अंधेरा था। उसी भीड में से उसके साथ धक्का–मुक्की की थी। जिससे वह जमीन पर गिर गया था और बेहोश हो गया था। गिरने पर उसके चोट भी आयी थी। वहां से कुछ लोग उसे बसरेहर थाने ले गये थे। पुलिस ने पहले बसरेहर इलाज हेतु भेजा। उसके बाद वहां से जिला अस्पताल भेजा गया था। जहां पर उसका एक्सरा हुआ था। उसमें हड्डी टूटी नहीं पायी गयी थी। गांव वालों ने बाद में उसे बताया था तथा उन्हीं की बातों से विश्वास करके उसने साबिर व आरिफ के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। आरिफ की अब मृत्यु हो चुकी है। उसे बाद में पता चला था कि आरिफ व साविर घटना में शामिल नहीं थे। गांव वालों ने उसे गलत सूचना दी थी।

उसने विवेचक को भी यही बयान दिया था। कागज संख्या 5क पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श क–1 डाला गया है। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. पी.डब्लू.2 अवनीश पुत्र लाखन सिंह ने अपने बयान में सशपथ कथन किया कि दिनांक 21.04.2016 को वह अपने गांव में नहीं था। वह मोटर साईकिल से कुवर पाल को छोड़ने मेला में गया था और वापिस लौट रहा था। रास्ते में लौटते समय उसने साविर व आरिफ को कुवर पाल की मारपीट करते नहीं देखा था और न जातिसूचक गालियां देते हुये देखा था। उसे किसी घटना की जानकारी नहीं है और न सी.ओ. ने उसका बयान लिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

17. पी.डब्लू.3 जिलेदार पुत्र लज़्जाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 21.04.2016 को उसका लड़का कुवर पाल थ्रेसर से कार्य करके वापिस आया था। हरदोई मेला में तमाम भीड़ थी। वहां पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसके लड़के कुंवर पाल के साथ गाली–गलौज व मारपीट की थी। साक्षी भी मेला में था, परन्तु उसके सामने घटना नहीं हुयी थी। कुंवर पाल मारपीट करने वालो को नहीं पहचानता था। लोगों ने उसे साविर व आरिफ के नाम बताये थे। उन्हीं के कहने पर उसने दोनों के विरुद्ध एफ.आई.आर. लिखा दी थी। सी.ओ. ने उसका कोई बयान अंकित नहीं किया था। यह बात सही है कि उसके लड़के की डाक्टरी हुयी थी। उसे नहीं मालूम कि उसके पुत्र को उस घटना में शासन से कितना रुपया मिला है। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

18. पी.डब्लू.4 राहुल कुमार पुत्र पन्ना लाल ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 21.04.2016 को वह थ्रेसर पर काम कर रहा था। साक्षी द्वारा लगभग एक घंटा काम करने के बाद घर चले जाना कहा है तथा यह भी कहा है कि उसने साविर को कुवर पाल की मारपीट, गाली–गलौज करते हुये नहीं देखा था और न उन्होंने उसके साथ कोई मारपीट व जाति सूचक गालियां दी थी। उसने सी.ओ. को भी अपने सामने घटना ना होने की बात बतायी थी। उसे कुंवर पाल ने भी झगड़ा के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने गवाही में उसका नाम कैसे लिखा दिया। वह उसकी बजह नहीं बता सकता। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

19. पी.डब्लू.5 का० 88 धीरू यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 04.05.2016 को बतौर कानिस्टेबल क्लर्क के पद पर थाना, चौबिया, जिला इटावा में तैनात था। उसी दिन थाने की डाक पैड से एक

प्रार्थना पत्र एस.एच.ओ. के आदेश के उपरान्त उसे प्राप्त हुआ था। यह प्रार्थना पत्र एस.एस.पी. इटावा को सम्बोधित था तथा आई.जी.आर.एस. के माध्यम से दिया गया था। जो टाइपशुदा था तथा प्रार्थी के रूप में कुंवर पाल का मोबाइल नम्बर एवं हस्ताक्षर अंकित थे। उसने प्रार्थना पत्र को पढ़कर अपराध संख्या 113/2016 पर अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा 3(1)(s) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना चौबिया में अन्तर्गत अभियुक्तगण साविर पुत्र मौसम खां एवं आरिफ पुत्र मुस्ताक खां निवासीगण हरदोई, थाना चौबिया, जिला इटावा के विरुद्ध पंजीकृत किया था। उस अपराध का हबाला उसने जी.डी. संख्या 19, दिनांक 04.05.2016 समय 10.30 बजे पर अंकित किया था। यह भी कहा है कि मूल पत्रावली में चिक एफ.आई.आर. कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/5 के रूप में है। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा जी.डी. कागज संख्या 4क/6 पर प्रदर्श क–3 साक्षी द्वारा डाला जाना कहा है। दोनों ही प्रपत्र कम्प्यूटराइज्ड हैं। यह भी कहा है कि विवेचक ने उसका बयान लिया था।

<u>निष्कर्ष</u>

20. अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि दिनांक 21.04.2016 को समय 3.00 बजे दोपहर, स्थान हरदोई मेला अन्तर्गत थाना क्षेत्र चौबिया जिला इटावा में अभियुक्त ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी को डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं गाली गलौज किया एवं जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा वादी जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति के हैं, उसको जनता के दृष्टिगोचर में गाली गलौज कर अपमानित किया गया है।

21. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल पांच साक्षीगण पी.डब्लू.1 कुंवरपाल, पी.डब्लू.2 जिलेदार, पी.डब्लू.3 अवनीश, पी.डब्लू.4 राहुल कुमार एवं पी.डब्लू.5 कांस्टेबल धीरू यादव को परीक्षित कराया गया है।

22. पी.डब्लू.1 कुंवरपाल, जो कि इस केस का चुटहिल व वादी मुकदमा है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हाजिर अदालत साबिर ने उसकी मारपीट नहीं की थी और न जान से मारने की धमकी दी, न जातिसूचक गाली दी थी। पी.डब्लू.2 अवनीश ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि हाजिर अदालत अभियुक्त साबिर ने उसके सामने कोई घटना कारित नहीं की थी। पी.डब्लू.3 ने अपनी

प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान ने उसकी व उसके पुत्र की मारपीट नहीं की थी न जातिसूचक गालियां दी थीं। पी.डब्लू.4 प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसके सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी थी। वह आज न्यायालय में बिना किसी जोर दबाब के गवाही दे रहा है। अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

23. स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षीगण पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2, पी.डब्लू.3, पी.डब्लू.4 को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा साक्षियों से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित माना जा सके। पी.डब्लू.5 एफ.आई.आर. लेखक है और पुलिस का औपचारिक साक्षी है।

24. जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने का प्रश्न है मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है, अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि–"कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है। "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 463** में यह अवधारित किया गया कि–" परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता हो, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।"

25. उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त साबिर को धारा 323/34, 504, 506 भा.द.सं. व धारा–3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त उपरोक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त साबिर को आरोपित आरोप धारा –323/34, 504, 506 भा.द.सं. व धारा–3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त का बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा–437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में अंकन 20,000/–रुपये का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करे।

पी.डब्लू.1 कुवर पाल, जो इस केस का वादी है, के द्वारा किये गये विरोधाभासी व मिथ्या कथन के आधार पर उसके विरुद्ध निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 344 (383 भा.ना.सु.सं.) के अन्तर्गत प्रथक से विविध वाद पंजीकृत किया जाये तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी किया जाये कि वह कारण बताये कि उसने इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य क्यों गढ़ा तथा क्यों न उसका संक्षिप्त परीक्षण कर दण्डित किया जाये।

दिनांक 22.04.2026

(संजय कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0ए0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।
JO CodeUP 6462

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 22.04.2026

(संजय कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0ए0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।
JO Code UP 6462

<u>परिशिष्ट–"अ"</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या (एस)2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

<u>जांचे गये गवाहों की सूची</u>

अभियोजन गवाह संख्या	**अभियोजन गवाह का नाम**	**विवरण**
पी.डब्लू.1	कुंवर पाल	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.2	अवनीश	स्वतंत्र साक्षी
पी.डब्लू.3	जिलेदार	पी.डब्लू.1 का पिता
पी.डब्लू.4	राहुल कुमार	स्वतंत्र साक्षी
पी.डब्लू.5	कां.धीरू यादव	एफ.आई.आर. लेखक

<u>प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची</u>

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा सत्यापित / साबित किया।**
प्रदर्श क–1	तहरीर	वादी मुकदमा

दिनांक 22.04.2026

(संजय कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश एससी.एसटी(पी0ए0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, इटावा।
JO Code No. UP 6462